पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2017 ई० (आषाढ़ 03, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ

सार्वजनिक सूचना

03 मार्च, 2017 ई०

संख्या–719/उपविधि/2016–17—नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ, जनपद चमोली में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 के अन्तर्गत तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध उपविधि, 2016 बनायी जाती है। जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, जोशीमठ को प्रेषित की जा सकेगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016

1. संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

(1) यह उपविधि नगरपालिका, जोशीमठ नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(3) यह उपविधि सरकारी गजट, उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ :

i. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित/क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

ii. "उपविधि" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, जो उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त है, के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।

iii. "नगरपालिका" से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243(थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका से है।

iv. "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ के अधिशासी अधिकारी से है।

v. "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत, नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्य के लिए शासन/नगरपालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

vi. "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।

vii. "नियम" से अभिप्रेत, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना नई दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये हैं।

viii. "अधिनियम" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है, जो उत्तराखण्ड में भी यथाप्रवृत्त से है।

ix. "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

x. "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

xi. "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

xii. "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" अपशिष्ट से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसकी उत्पत्ति मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

xiii. "संग्रहण (Collection)" से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

xiv. "कचरा खाद बनाने (Composting)" एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का जैविक निम्नकरण अन्तवर्लित है।

xv. "ढहाव तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Dimolition and construction)" से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त रोडियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

xvi. "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

xvii. "भूमिकरण (Landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण कर निपटान, अभिप्रेत है।

xviii. "निक्षालितक (Leachate)" वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

xix. "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" में म्युनिसपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

xx. "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" का अभिप्राय नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ से है।

xxi. "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्य तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

xxii. "सुविधा के परिचालक (Operator of facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों को प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

xxiii. "पुनर्चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

xxiv. "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य ओर परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

xxv. "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों को आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

xxvi "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

3. कोई भी व्यक्ति/स्थापन नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

4. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापना द्वारा उक्त बिन्दु 4 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका/सुविधा प्रचालक को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क लिए जायेंगे।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्टों (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारिता जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और नहीं जलवायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

11. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा नगरपालिका परिषद्/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

12. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 05.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी। यह वृद्धि बोर्ड स्वीकृति के अधीन होगी।

13. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है तो प्रथम बार ₹ 200.00, द्वितीय समय ₹ 500 एवं तृतीय स्थिति में ₹ 1,000 अर्थदण्ड देना होगा।

14. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500, द्वितीय समय ₹ 1,000 एवं तृतीय स्थिति में ₹ 1,500 का अर्थदण्ड देना होगा। यह कि नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित निर्धारित यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1

सेवा शुल्क (user charges)

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	प्रति माह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि, ₹ में			
		जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग पहुँचाने पर ₹	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर ₹	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर ₹	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे ₹
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	20	25	25	30
2.	मध्यम वर्ग, कम आय वाले घर	30	40	40	50
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	50	60	60	75
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	500	600	600	700
5.	रेस्टोरेन्ट	500	600	600	700
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	150	200	200	250
7.	धर्मशाला	100	150	150	200
8.	बारातघर (बारात दिवस में ₹ 500/–)	350	400	400	500
9.	बेकरी	100	150	150	175
10.	कार्यालय	50	60	60	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	50	70	70	75
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	50	60	60	75
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	500	600	600	700
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	500	600	600	700
15.	दुकान	50	60	60	70
16.	फैक्ट्री	1,500	1,600	1,600	1,800
17.	वर्कशॉप/कबाड़ी	1,500	1,600	1,600	1,800
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता/चाट वाले	500	600	600	700
19.	मीट विक्रेता	500	600	600	700
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	500 आयोजन दिवस में, प्रतिदिन ₹ 1,000	600	600	700
21.	ढहान तथा निर्माण कारपेन्टर सम्बन्धी अपशिष्ट	1,000	1,200	1,200	1,500

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनर्चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लॉस्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सेल क्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाडे से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लोचें, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनिटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटामय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा खाली डिब्बे
		इन्जेक्शन सुई तथा सिरिंज, खराब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लासेन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गाँव थीनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, जो उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त है, की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा, जिसके लिए कम से कम ₹ 500 एवं अधिक से अधिक ₹ 5,000 का अर्थदण्ड अपराध होगा और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किया जाए, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500 प्रतिदिन होगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ में अन्तिम रूप में निहित होगा।

राजेन्द्र सिंह राणा
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
जोशीमठ।

रोहिणी रावत,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
जोशीमठ।